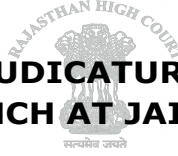




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3250/2025

1. Sunita Devi W/o Late Shri Harinarayan @ Hari Meena, Aged About 33 Years, (Wife),
2. Yuvraj S/o Late Shri Harinarayan @ Hari Meena, (Son), Aged About 15 Years, Minor Through Natural Guardian Mother Sunita Devi W/o Late Shri Harinarayan @ Hari Meena,
3. Kajal D/o Late Shri Harinarayan @ Hari Meena, (Daughter), Aged About 13 Years, Minor Through Natural Guardian Mother Sunita Devi W/o Late Shri Harinarayan @ Hari Meena,
4. Roshan Meena D/o Late Shri Harinarayan @ Hari Meena, (Daughter), Aged About 11 Years, Minor Through Natural Guardian Mother Sunita Devi W/o Late Shri Harinarayan @ Hari Meena,
5. Yudhisthar Meena S/o Late Shri Harinarayan @ Hari Meena (Son), Aged About 5 Years, Minor Through Natural Guardian Mother Sunita Devi W/o Late Shri Harinarayan @ Hari Meena,
6. Ganesh Narayan S/o Late Shri Mangi Lal Meena, Aged About 76 Years, (Father),
7. Soni Devi W/o Ganesh Narayan, Aged About 72 Years, (Mother)
All R/o Village Gunawata, Tehsil Amer, Police Station Amer, District Jaipur.

----Appellants/Claimants

Versus

1. Ramkesh Meena S/o Shri Badrilal Meena, R/o Dhani Chatarpura Bend, Tehsil Niwai, District Tonk-304025 (Driver of Vehicle Dumper No. RJ-14-GK-0935)
2. M/s Sangam Traders Proprietor Mahesh Gurjar S/o Shyonarayan Gurjar, Aged About 39 Years, R/o Village Torda Gujara, Tehsil Kotputli, District Jaipur (Owner of Vehicle Dumper No. RJ-14-GK-0935)
3. Through Manager, New India Insurance Company, Branch Address Nehru Place, Tonk Road, Jaipur (Insurance Company of Vehicle Dumper No. RJ-14-GK-0935)

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s) : Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Sanjay Kumar Singhal, Adv.

**HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR****Order****10/12/2025**

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, संख्या-1, जयपुर महानगर-द्वितीय (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-136/2021, सुनिता देवी व अन्य बनाम रामकेश मीणा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2025 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में हरिनारायण उर्फ हरि की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 80,80,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल 32,07,575/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 06 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।
3. यद्यपि अपीलार्थीगण ने यह अपील अन्य आधारों पर ही पेश की है, किन्तु विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान केवल कंसोर्टियम की मद में दी जाने वाली राशि, सम्पदा की हानि तथा अंतिम संस्कार की मद में दी जाने वाली राशि की हद तक ही आलौच्य आदेश को चुनौती दी है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अंतिम संस्कार व सम्पदा की हानि के मद में अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी राशि में तथा अन्य मदों में दिलवाई गयी राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।



4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।
5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 28.04.2021 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक हरिनारायण उर्फ हरि को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान में संविदाकर्मी के रूप में प्लम्बर के पद पर कार्य कर प्रतिमाह 21,800/- रुपये वेतन प्राप्त करना बताया गया है। मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से मृतक का संविदाकर्मी ड्यूटी से संबंधित दस्तावेज प्रदर्श-22, एनएआई में कार्यरत जीएस एण्ड कम्पनी का वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-23 व मृतक की बैंक पास बुक प्रदर्श-25 विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की मासिक आय उसके वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर 18,676/- रुपये मासिक, तदनुसार वार्षिक आय 2,24,112/- रुपये निर्धारित कर उक्त निर्धारित वार्षिक आय में से मृतक पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए 1/5 भाग अर्थात् 44,822/- रुपये की कटौती की जाकर कुल शुद्ध वार्षिक आय 1,79,290/- रुपये पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 14 का गुणक प्रयोग किया जाकर कुल क्षति 25,10,060/- रुपये निर्धारित कर उक्त आय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 40 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि की जाकर अर्थात् 6,24,515/- रुपये की राशि को समायोजित करते हुए आश्रित आय की क्षति के मद में कुल 31,37,575/- रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाई गयी है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया



जाना हम उचित नहीं समझते हैं। बहस के दौरान अपीलार्थीगण द्वारा आश्रित आय की क्षति के मद में दिलवाई गयी राशि बाबत कोई आपत्ति भी नहीं ली गयी है।

7. अपीलार्थीगण द्वारा केवलमात्र कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी राशि तथा अन्य मदों में दिलवाई गयी राशि के बाबत आपत्ति ली गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा समस्त अपीलार्थीगण को एकमुश्त 40,000/- रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाईटेड इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहुरू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/- रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। साथ ही **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में कंसोर्टियम की मद में दी जाने वाली राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी किये जाने का सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है। ऐसी स्थिति में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त) व नानू राम उर्फ चुहुरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या-1 को "स्पाउस कंसोर्टियम" की मद में 48,000/- रुपये, मृतक के पुत्र-पुत्री अपीलार्थी संख्या-2 लगायत 5 को "पैरेण्टल कंसोर्टियम" की मद में प्रत्येक को 48,000/- रुपये तथा मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या-6 व 7 को "फिलियल कंसोर्टियम" की मद में प्रत्येक को 48,000/- रुपये (कुल 3,36,000/- रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

8. विद्वान अधिकरण द्वारा अंतिम संस्कार की मद में 15,000/- रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाई गयी है। अतः उक्त मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर



प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 18,000/— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा सम्पदा की हानि के मद में 15,000/— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाई गई है। अतः उक्त मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 18,000/— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

10. उक्तानुसार अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गई उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	31,37,575 /—
2.	कंसोर्टियम के मद में (प्रत्येक अपीलार्थी को 48,000/— रुपये)	कुल 3,36,000 /—
3.	अंतिम संस्कार के मद में	18,000 /—
4.	सम्पदा की हानि के मद में	18,000 /—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		34,91,575 /—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)		32,07,575 /—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		2,84,000 /—

11. तदनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **32,07,575/— रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **34,91,575/— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

12. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

13. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।



14. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J